बिहार विधान परिषद्

188वां सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग – 4

14 फाल्गुन, 1939 (श.)
सोमवार, तिथि ---------------------------------
05 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 21

1.	परिवहन विभाग	....	....	02
2.	गृह (आरक्षी) विभाग	....	....	04
3.	गृह (विशेष) विभाग	....	....	05
4.	अनु. जाति/अनु. जनजाति कल्याण विभाग	....	....	01
5.	लघु जल संसाधन विभाग	....	....	02
6.	श्रम संसाधन विभाग	....	....	01
7.	जल संसाधन विभाग	....	....	02
8.	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	....	....	01
9.	समाज कल्याण विभाग	....	....	03

		कुल योग –		**21**

प्रशिक्षण की व्यवस्था

* 38. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना में मोटर वाहनों से होने वाले प्रदूषण की जांच करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा दो स्मोक मीटर एवं दो फोनगैस एनलाइजर का क्रय कर यातायात पुलिस को उपलब्ध कराया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त मशीन के उपयोग हेतु न तो यातायात पुलिस को समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, न ही वाहन एवं कम्प्यूटर, बैट्री तथा प्रिन्टर आदि उपलब्ध कराया गया जिस कारण वह मशीन बेकार पड़ी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र इन मशीनों को चलाले हेतु समुचित संसाधन एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

डी. जे. पर नियंत्रण

* 39. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि आजकल पूरे प्रदेश के शहरी इलाकों में शादी-विवाद, मूर्ति विसर्जन के दौरान डी.जे. बाजा बजाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त तथाकथित डी.जे. बाजा, लाउडस्पीकर बजाने से आम लोगों को विशेषकर वृद्धजनों एवं छोटे बच्चों तथा बीमार व्यक्तियों को गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है, इसकी तेज आवाज से काफी परेशानी हो रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो लोकहित में क्या सरकार इस डी.जे. नामक लाउडस्पीकर की आवाज पर नियंत्रण रखे जाने के संबंध कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

पुलिस का सदुपयोग

* 40. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य की नारी की अस्मिता की रक्षा करने के लिए सरकार ने समय-समय पर कठोर कानून बनाया है;

(ख) क्या यह सही है कि इस दिशा में ऐसे कानूनों का पुलिस द्वारा दुरुपयोग किये जाने की घटना प्राय: समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती है और इसकी भयानक परिणाम आते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि बदला लेने, आपसी विवाद को अपने पक्ष में करने का दबाव बनाने, समाज के सामने वाले की प्रतिष्ठा गिराने के लिए झूठी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी जाती है लेकिन पुलिस बिना छानबीन के ही निर्दोषों पर कार्रवाई के लिए तत्पर हो जाती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे मामलों में पुलिस के क्रिया-कलापों को सुदृढ़ करने एवं कानून को सख्ती से लागू करने का विचार रखती है ताकि लोगों में आत्मविश्वास पैदा हो सके और कानून का सदुपयोग हो सके ?

थानों के लिए जमीन कबतक

* 41. **डा. दिलीप कुमार जायसवाल** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पुलिस जिला, नवगछिया के चार थानों की जमीन गायब हो गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि खरीक, ढ़ोलबज्जा, झंडापुर एवं कदवा में थाना के लिए जमीन अधिग्रहण हेतु 18 लाख रुपये का स्थानान्तरण खगडिया आरक्षी अधीक्षक के द्वारा भू-अर्जन विभाग को दिया गया;

(ग) क्या यह सही है कि अभी तक थानों के लिए भू-अर्जन विभाग के द्वारा न तो जमीन का अधिग्रहण किया गया और न ही राशि का कोई हिसाब-किताब मिल रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या विभाग गायब राशि को खोजने का प्रयास करेगी एवं उपरोक्त थानों के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी, यदि हां तो कबतक ?

बस पड़ाव का निर्माण

* 42. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के वैसे प्रखंड एवं अनुमंडल मुख्यालय जहां रेल-यात्रा की सुविधा नहीं है वहां के बस-पड़ाव में मुकम्मल सुविधा का अभाव है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त वर्णित अधिकांश स्थानों पर ही मुख्य सड़क पर बस-स्टैण्ड के रहने से आमजनों को अकसर जाम का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' में वर्णित स्थनों पर आधुनिक बस-पड़ाव का निर्माण कराना चाहती है, नहीं तो क्यों ?

पुलिस केन्द्र का अविलम्ब निर्माण

* 43. **श्री आदित्य नारायण पाण्डेय** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज पुलिस केन्द्र जिला स्थापित वर्षों से अबतक जिला मुख्यालय स्थित गंडक विभाग के भवन में चलता है;

(ख) क्या यह सही है कि पुलिस केन्द्र गोपालगंज के भवन निर्माण हेतु जिले के सदर प्रखंड के चैनपट्टी में किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई लेकिन किसानों को सरकार द्वारा कम मुआवजा राशि मिलने पर भूमि का स्थानान्तरण नहीं हो सका जिससे पुलिस केन्द्र का निर्माण नहीं हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान समय में पुलिस केन्द्र गोपालगंज में लगभग 800 पुलिसकर्मी सहित अन्य कर्मचारी रहते हैं;

(घ) क्या यह सही है कि पुलिस केन्द्र का निर्माण नहीं होने से पुलिसकर्मियों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गोपालगंज पुलिस केन्द्र के अविलंब निर्माण हेतु क्या मंशा रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रिक्त पदों पर नियुक्ति

* 44. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में दलित समाज को प्रभावी तरीके से न्याय दिलाने के लिए वर्ष 2009 में राज्य अनुसूचित जाति आयोग बनाया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों से आयोग के अध्यक्ष का पद खाली है एवं आयोग में कुल अठारह पद सृजित किये गये हैं लेकिन इनमें से छह पद खाली हैं;

(ग) क्या यह सही है कि आयोग में हर महीने 100 से ज्यादा मामला आते हैं लेकिन अध्यक्ष का पद खाली होने की वजह से मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है एवं दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आयोग के अध्यक्ष सहित सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

तटबंध का निर्माण

* 45. **श्री राजन कुमार सिंह** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत ग्राम मलवा से पुनपुन नदी गुजरती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदी गुजरने से प्रत्येक साल बरसात में भूमिहार घाट से धोबी घाट तक कटाव होता है;

(ग) क्या यह सही है कि कटाव होने के कारण उक्त गांव के ही सूर्य मंदिर, गोवर्धन स्थान एवं खेल मैदान का काफी नुकसान हो रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त नदी के पक्का तटबंध का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

चेक डैम का निर्माण

*** 46. डा. उपेन्द्र प्रसाद** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि गया जिलान्तर्गत इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, शेरघाटी प्रखंडों में स्थायी सिंचाई की व्यवस्था हेतु चेक डैम के निर्माण के संबंध में मैंने अपने पत्रांक-181/आ./17, दिनांक-31.07.2017 के द्वारा विभाग को पत्र लिखा था;

(ख) क्या यह सही है कि आज तक विभाग द्वारा सिंचाई के लिए चेक डैम निर्माण हेतु वर्णित प्रखंडों के धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार किसानों के सिंचाई सुविधा हेतु जनहित में वर्णित स्थानों में चेकडैम का निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

ए.सी.पी. का भुगतान

*** 47. प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार सचिवालय के भोजशाला में कार्यरत सभी कर्मियों का ए.सी.पी. का भुगतान लंबित रखा गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त कर्मियों का ए.सी.पी. का भुगतान नहीं होने से उनमें क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सचिवालय के भोजशाला में कार्यरत कर्मियों का ए.सी.पी. का भुगतान कबतक करने का विचार रखती है ?

बरनार जलाशय योजना

***48. श्री संजय प्रसाद** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की 24.5.2016 की समीक्षा बैठक में यह विषय उठाया गया था कि बरनार जलाशय योजना को शीघ्र पूरा कराया जाए, जिसके उत्तर में विभाग में प्रतिवेदित किया था कि इसे जनवरी, 2018 तक पूर्ण कर लिया जायेगा;

(ख) क्या यह सही है कि अभी तक कार्य पूरा होने की स्थिति में नहीं है क्योंकि अभी तक इसकी निविदा भी आमंत्रित नहीं की गयी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बरनार जलाशय योजना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा कराने का विचार रखती है ?

पेंशन दिलाने पर विचार

* 49. **श्री राधाचरण साह** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सैना देवी, पति-स्व. ध्रुव नारायण प्रसाद. ग्राम-ज्ञानपुर से मरिया (बालूपर) पोस्ट नथमलपुर, थाना-बड़हरा, जिला- भोजपुर बिहार की निवासी थीं, वर्तमान में आरा शहर के शीतल टोला मुहल्ला में रहती हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सैना देवी के पति स्व. ध्रुव नारायण प्रसाद पर देश की आजादी की लड़ाई में बड़हरा थाना पर झंडा लहराने एवं देशहित में संघर्ष करने के उपरांत उनके विरुद्ध मुकदमा वारंट निर्गत हुआ था, दिनांक-15.08.1942 से 25.09.1942 तक फरार थे एवं दिनांक-20.08.1942 को वारंट निर्गत हुआ था;

(ग) क्या यह सही है कि जिला समिति के सदस्य श्री ब्रज कुमार शुक्ला द्वारा स्थानीय जांच प्रतिवेदन के आधार पर परामर्शदातृ समिति की बैठक दिनांक-02.11.1989 को ही इन्हें केन्द्रीय राजस्व कोष से सम्मान पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की गई है;

(घ) क्या यह सही है कि ध्रुव नारायण प्रसाद की मृत्यु दिनांक-25.12.2009 को ही चुकी है, मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी सैना देवी को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति भारत सरकार के द्वारा दी गयी है;

(ङ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक सैना देवी को स्वतंत्रता सम्मान पेंशन दिलाने पर विचार करती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बांध का जीर्णोद्धार

* 50. **श्री जावेद इकबाल अंसारी** : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बांका जिले के बाराहाट अंचल के राजस्व ग्राम गोड़धोवा में मदेगरी नाम का जमींदारी बांध है जिसका खाता-111, खेसरा क्रमश: 23, 24, 25 तथा रकबा 04 एकड़ है, बांध जीर्ण-शीर्ण होने के कारण किसानों का लगभग 2000 एकड़ की खेती को सिंचाई करने में परेशानी होती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त बांध के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में रहने के कारण राजस्व ग्राम गोड़धोवा के अलावे अन्य गांव के किसानों का लगभग 2000 एकड़ खेती सिंचाई से वंचित हो जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त बांध के जीर्णोद्धार का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

रेल थानों का भवन निर्माण

*51. **श्री नीरज कुमार** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने पटना सिटी, पाटलिपुत्र, दानापुर, राजेन्द्रनगर, तरेंगना सहित 24 रेल थानों के निर्माण हेतु रेलवे से 30X20 फीट जमीन उपलब्ध कराने को कहा था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त थानों के निर्माण हेतु रेलवे द्वारा राज्य सरकार को जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से भवन निर्माण का रास्ता साफ हो गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इन रेल थानों का भवन निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक ?

अलग से बजट का प्रावधान

*52. **श्रीमती रीना देवी** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सरकार के महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति कटिबद्ध होने के बावजूद घरेलू हिंसा से पीड़ित/प्रभावित महिलाओं को आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण वैसी महिलाओं में निराशा का भाव है तथा कभी-कभी आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वर्णित घरेलू हिंसा से पीड़ित/प्रभावित महिलाओं के आर्थिक सहायता के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक ?

थाना खोलने पर विचार

*53. **श्री दिलीप राय** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड में महिन्दबारा में थाना खोलने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है;

(ख) क्या यह सही है कि जमीन नहीं मिलने के कारण अभी तक थाना नहीं खुल सका है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन अधिग्रहण कर थाना खोलने की विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

छात्रावास की स्थापना

*54. **श्री सोनेलाल मेहता** : क्या मंत्री, पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि खगडिया जिला अति पिछड़ा वर्ग बहुल जिला रहने के बावजूद यहां जननायक कर्पूरी छात्रावास की स्थापना नहीं की गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खगडिया जिले में जननायक कर्पूरी छात्रावास की स्थापना करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

बकाया राशि देने पर विचार

*55. **श्री सच्चिदानन्द राय** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या यह सही है कि सारण जिलान्तर्गत प्रखंड तरईया में अभी तक 60 प्रतिशत विधवा, विकलांग एवं वृद्धजनों की सहायता राशि का भुगतान जनवरी, 2018 तक नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शेष वंचित पेंशनधारियों को बकाया राशि देने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

प्रखंड कर्मियों पर कार्रवाई

* 56. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत चकिया प्रखंड के मथुरापुरा पंचायत के ग्राम रामकरण पकड़ी आंगनबाड़ी केन्द्र सं.-42 का संचालन चयनित स्थल के बदले मनमाने ढंग से केन्द्र को नहीं चलाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त केन्द्र को नहीं चलाने के आरोप में पूर्व आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका का चयनमुक्त किया गया था;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो चयनित स्थल केन्द्र सं.-42 पर आंगनबाड़ी सेवा केन्द्र चलाने हेतु स्थानीय मुखिया पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य तथा ग्रामीणों द्वारा चकिया प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से अनुरोध तथा पत्र देने के बावजूद 42 केन्द्र सं. पर आंगनबाड़ी का संचालन नहीं किया जा रहा है। सरकार उक्त केन्द्र पर आंगनबाड़ी नहीं चलाने के लिए चकिया प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं कर्मियों पर कार्रवाई करना चाहती है, हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

दण्डात्मक कार्रवाई

* 57. **श्री सुमन कुमार** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शौचालय निर्माण हेतु सर्वे के उपरान्त लाभार्थियों का फोटो शौचालय निर्माण के लिए लिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि शौचालय का निर्माण कराए बिना एक शौचालय के स्थान पर अधिक लोगों के शौचालय निर्माण की राशि की बंदरबाट किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि प्रारंभिक जांचोपरान्त कड़ोरों रुपए की हेराफेरी का मामला प्रकाश में आया था और इस फर्जीवाड़े में संलिप्त मात्र एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शौचालय निर्माण में फर्जीवाड़ा करने वाले अभियुक्त जो आज तक प्रशासन की पकड़ में नहीं आए हैं उनके ऊपर दण्डात्मक कार्रवाई कराते हुए सुलभतापूर्वक शौचालय का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

*** 58. श्री मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत नादो पंचायत के ग्राम-दमगड़ी में खाता सं.-1239, खेसरा-4932 एवं नया खेसरा-3934 कुल 24 डी. का कब्रिस्तान है जिसकी घेराबंदी नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न होने की संभावना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

पटना
दिनांक 05 मार्च, 2018 ई.

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्